



भारत सरकार / Government of India
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
दीपस्तंभ एवं दीपपोत निदेशालय

Directorate of Lighthouses & Lightships

“दीपभवन”, 44-बी.एस.रोड / “Deep Bhavan”, No- 44 B.S.Road

पोर्ट ब्लेयर / Port Blair – 744 101

फ़ैक्स एवं फोन / Tele-Fax-03192 - 244577, Telephone-03192 - 233298

ई-मेल / e-mail:- dte-port@gov.in



No.CM-PB-01016/1/2022-CM-PB

DATE: 28/12 /2023

खंड- 1 - ई-निविदा (पुनः निविदा) आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति महोदय की ओर से, निदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर द्वारा समान कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव रखने वाले योग्य अनुभवी सिविल ठेकेदारों से ऑनलाइन आइटम दर निविदाएं फिर से आमंत्रित करते हैं। सरकारी संगठनों के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इमारतों, परिसर की दीवार, टारों, रास्तों आदि के निर्माण/रखरखाव सहित सिविल कार्य और कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

क्रम सं	विवरण	विवरण
1	कार्य का नाम	सर ह्यू रोज दीपस्तंभ स्टेशन पर दीपस्तंभ टॉवर और संबद्ध संरचना का सिविल रखरखाव और मरम्मत संबद्ध संरचना की मरम्मत और स्टेशन का सुधार/ विकास कार्य।
2	कार्य स्थल	सर ह्यू रोज
3	अनुमानित लागत	₹ 74,75,522 /-
4	कार्य पूर्ण करने की अवधि	11 माह (excluding monsoon)
5	बयाना जमा	₹1,49,510/- की सावधि जमा रसीद (FDR) या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में “निदेशक – दीपस्तंभ और दीपपोत, पोर्ट ब्लेयर” के पक्ष में पोर्ट ब्लेयर में देय। बयाना जमा तकनीकी बोली खोलने की तिथि से छः माह तक की अवधि के लिए वैध होगी।
6	बिड दस्तावेज़ की लागत (अहस्तांतरणीय)	निशुल्क
7	निविदा दस्तावेज़ डाउनलोड एवं बोली प्रस्तुत करने की अवधि	28/12/2023(16-00 बजे) से 08/01/2024 (15-00 बजे) तक
8	प्री बिड बैठक	03/01/2024 (15-00 बजे)
9	तकनीकी बोली खोलने की तिथि	09/01/2024 (15-00 बजे) (इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होने पर)
10	बयाना जमा (असल) प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	08/01/2024 (15-00 बजे) तक
11	बोली की वैधता	180 दिन (तकनीकी बोली खोलने की तिथि से)
12	पात्रता का मापदंड	As per Section-III clause 3.1 of Tender Document

नियम और शर्त

1. रुपये 1,49,510/- की बयाना राशि जमा रसीद/सावधि जमा रसीद (एफडीआर) पर जमा के रूप में किसी भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित, राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा "दीपस्तंभ और दीपपोत के निदेशक - पोर्ट ब्लेयर के पक्ष में प्रस्तुत की जाएगी। बयाना राशि तकनीकी बोली खोलने की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए वैध होगी। ईएमडी की मूल प्रति सभी तकनीकी दस्तावेजों के साथ पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा या व्यक्तिगत रूप से जमा करने की निर्धारित तिथि और समय पर या उससे पहले इस कार्यालय में जमा की जाएगी अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार/अयोग्य माना जाएगा। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) या एमएसएमई मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य निकाय के साथ समान प्रकृति के काम के लिए पंजीकृत बोलीदाता भारत सरकार के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार ईएमडी के भुगतान से छूट के लिए पात्र होंगे। उपलब्ध छूटों का दावा करने के लिए उन्हें तकनीकी बोली के साथ ऐसे पंजीकरण का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कार्यों के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र "समान कार्य" से संबंधित नहीं है, तो उनकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
2. कार्य का विवरण निविदा दस्तावेज में उपलब्ध है जो केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद (सीपीपी) पोर्टल वेबसाइट <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> से डाउनलोड किया जा सकता है और बोली केवल <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर निविदा जमा करने की अंतिम तारीख और समय तक ऑनलाइन प्रस्तुत करना है। प्रत्यक्ष रूप से निविदा दस्तावेज की बिक्री लागू नहीं है।
3. खंड 3.1 में परिभाषित पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले सभी पात्र निविदाकर्ताओं के लिए बोली खुली है। निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे ध्यान दें और खुद को संतुष्ट करें कि वे पात्रता मानदंड को पूरा कर रहे हैं।
4. तकनीकी बोली खोलने की तिथि इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होने की स्थिति में लागू है। अतः तकनीकी बोली खोलने की तिथि में निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।
5. तकनीकी मूल्यांकन एक समिति द्वारा किया जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन पूर्ण होने पर, तकनीकी रूप से योग्य निविदाकर्ताओं की कमर्शियल बोली समिति द्वारा खोली जाएगी। सफल निविदाकर्ता तय करने में दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय का निर्णय अंतिम और निविदाकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा।
6. निविदाकर्ता पात्रता मानदंड, निविदाकर्ताओं के लिए निर्देश, तकनीकी आवश्यकता, काम की गुंजाइश, अनुबंध की सामान्य और विशेष शर्तें और बोली के संबंध में अन्य सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। निविदाकर्ता उपरोक्त सभी मदों को ध्यान में रखकर उसकी दरें उद्धृत करें।
7. निदेशक –दीपस्तंभ और दीपपोत, पोर्ट ब्लेयर बोली स्वीकार करने या खारिज करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। निविदाकर्ता उद्धृत दरों पर ही कार्य निष्पादन करने के लिए बाध्य रहेगा।
8. प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, बोली के संबंध में प्रचार / संचायना करना सख्त वर्जित है। निविदाकर्ताओं द्वारा प्रचार / संचायना के सहारे प्रस्तुत बोलियों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
9. निविदाकर्ताओं जिसका निकट के रिश्तेदारों दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में लेखा अधिकारी के रूप में या किसी राजपत्रित अधिकारी के रूप में किसी भी क्षमता में तैनात है उनको बोली के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। संभावित निविदाकर्ता दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में किसी भी राजपत्रित अधिकारी के निकट रिश्तेदार जो किसी भी क्षमता में उनके साथ कार्यरत हैं या बाद में उसके द्वारा नियोजित किए गए हैं ऐसे व्यक्तियों के नाम भी सूचित करेगा। निविदाकर्ता द्वारा इस शर्त के किसी भी उल्लंघन के लिए उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। निकट रिश्तेदार का मतलब है पत्नी, पति, माता-पिता, दादा-दादी, बच्चों और पोते, भाइयों और बहनों, चाचा, चाची और कानून के अनुरूप।

10. निविदाकर्ता को बोली के संबंध में किसी भी बिचौलियों (एजेंटों आदि) को किए गए या किए जाने वाले भुगतान का खुलासा करना होगा ।
11. भारत सरकार का कोई भी राजपत्रित अधिकारी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद दो वर्ष की अवधि के लिए सरकार की लिखित रूप में पूर्व अनुमति के बिना एक ठेकेदार के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति नहीं है । बोली प्रस्तुत करने से पहले या ठेकेदार की सेवा में नियुक्ति से पूर्वोक्त अगर किसी भी समय किसी भी ठेकेदार या उसके किसी कर्मचारी ऐसे मिलते हैं जिसने भारत सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं की है, तो अनुबंध रद्द किया जा सकता है।
12. किसी भी निर्धारित तिथि को भारत सरकार द्वारा एक छुट्टी के रूप में घोषित किए जाने की घटना में निर्दिष्ट गतिविधियों को अगले कार्य दिवस पर नियत समय पर ले जाया जाएगा ।
13. निविदा आमंत्रण सूचना सभी प्रकार के शुद्धिपत्र/ परिशिष्ट/ निविदा की शर्तें इत्यादि संविदा / अनुबंध दस्तावेज़ का एक हिस्सा होंगे ।



निदेशक

भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए



भारत सरकार / Government of India

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

दीपस्तंभ एवं दीपपोत निदेशालय

Directorate of Lighthouses & Lightships

"दीपभवन", 44-बी.एस.रोड / "Deep Bhavan", No- 44 B.S.Road

पोर्ट ब्लेयर / Port Blair – 744 101

फैक्स एवं फोन / Tele-Fax-03192 – 244577, Telephone-03192 – 233298

ई-मेल / e-mail:- dte-port@gov.in

No.CM-PB-01016/1/2022-CM-PB

DATE: 28.12.2023

SECTION- I – NOTICE INVITING e- TENDER(Re-Tender)

For and on behalf of the President of India, the Director of Lighthouses and Lightships, Deep Bhavan, 44-B.S Road, Port Blair, Re-invites online Item rate tenders from Eligible Experienced Civil Contractors having experience of successfully completion of Similar work of **“Civil works including Construction/maintenance of buildings, compound wall, towers, pathways etc., in Andaman & Nicobar Islands”** with Government organizations and do not have any adverse remarks.

Sl.No.	Details	Description
1	Name of work	Civil maintenance of Lighthouse tower, repair of allied structure and improvement works of Sir Hugh Rose Lighthouse Station.
2	Location	Sir Hugh Rose island
3	Estimated Cost of Work	₹ 74,75,522 /-
4	Period of completion of work	11 months (excluding monsoon)
5	Earnest Money Deposit	Rs. 1,49,510/- in the form of Deposit at call Receipt/ Fixed Deposit receipt (FDR) issued by any RBI Approved, Nationalized /Scheduled Bank in favour of "Director of Lighthouses and Lightships – Port Blair" payable at Port Blair. Earnest Money Deposit shall be valid for a period of 06 months from the date of opening of Technical bid.
6	Cost of Bid Document (Non-Refundable)	Free of Cost
7	Bid Document Download & Bid Submission Period	28/12/2023 (16-00 Hrs) to 08/01/2024 (15-00 Hrs)
8	Pre Bid Meeting	03/01/2024 at 15-00 Hrs.
9	Date of Opening of Technical Bids	09/01/2024 at 15-00 Hrs. (on availability of internet facility)
10	Last date of submission of EMD (in original)	08/01/2024 (15-00 Hrs)
11	Bid validity	180 days from date of opening of technical bid.
12.	Eligibility criteria	As per Section-III clause 3.1 of Tender Document

Terms and Conditions

01. Earnest Money Deposit amounting to Rs 1,49,510/- shall be furnished in the form of Deposit at call Receipt/ Fixed Deposit receipt (FDR) issued by any RBI Approved, Nationalized /Scheduled Bank in favour of “Director of Lighthouses and Lightships – Port Blair” payable at Port Blair. Earnest Money Deposit shall be valid for a period of six months from the date of opening of Technical bid. **The originals of EMD shall along with all technical documents be submitted to this office by Registered / Speed Post or by personally on or before the schedule date & time for submission date** otherwise the uploaded bid shall be deemed to be rejected/ disqualified. Bidders registered with Micro small medium enterprises(MSME) or National Small Industries Corporation(NSIC)or anyother body specified by Ministry of MSME for similar nature of work shall be Eligible for Exemption from payment of EMD as per prevailing guidelines of Govt of India.They requires to submit documentary proof of such registration along with the technical bid for claiming the available exemptions. If the registration certificate or certificate issued for works does not pertains to “similar work” their bid shall be rejected.
02. The details of work are available in the tender document which can be downloaded from website Central Public Procurement (CPP) Portal <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> and the bid is to be submitted online only on <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> up to last date and time of submission of tender. Sale of physical tender document is not applicable.
03. Bidding is open to all eligible Bidders meeting the eligibility criteria as defined in clause 3.1. Bidders are requested to note and satisfy themselves that they fulfill eligibility criteria.
04. The date of technical bid opening is subject to the availability of internet. Hence, the technical bid opening date is at the jurisdiction of the Director.
05. Technical evaluation shall be carried out by a Committee. On completion of technical evaluation only, the Commercial Bids of the technically qualified bidders shall be opened by the Committee. The decision of the Director, Directorate of Lighthouses & Lightships, Port Blair in deciding the successful bidder shall be final and binding on the bidders.
06. The Bidder shall carefully read Eligibility Criteria & instructions to Bidders, Technical requirement & Scope of work, General& Special conditions of contract, and all other documents in connection with the Bid. The Bidder shall quote his rates, keeping all above points in mind.
07. The Director, Directorate of Lighthouses & Lightships, Port Blair reserves the right to himself for accepting or rejecting the bid. Bidder shall be bound to perform the same at the quoted rates.
08. Canvassing whether directly or indirectly, in connection with Bid is strictly prohibited. The Bids submitted by the Bidders, who resort to canvassing, shall be summarily rejected.
09. Those Bidders whose near relatives are posted as accountant or as a gazetted Officer in any capacity in the Directorate General of Lighthouses & Lightships shall not be permitted to Bid. The prospective Bidder shall also intimate the names of persons who are working with him in any capacity or subsequently employed by him, who are near relative to any gazetted officer in the DGLL or in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Any breach of this condition by the bidder shall render him ineligible. By the term ‘near relative’ is meant wife, husband, parents & grand parents, children & grandchildren, brothers & sisters, uncles, aunts & corresponding in laws.
10. The bidder shall disclose any payment made or proposed to be made to any intermediaries (agents etc.) in connection with the bid.
11. No Gazetted Officer of Government of India is allowed to work as a contractor without prior permission of the Govt. of India in writing for a period of two years after his retirement from government service. The contract is liable to be cancelled if either the contractor or any of his

Section – I

employees is found at any time to be such a person who had not obtained the permission of Govt. of India as aforesaid, before submission of the Bid or engagement in the contractor's service.

12. In the event of any specified date, being or declared as a holiday by the Government of India, the specified activities shall take place on or up to the appointed time on the next working day.
13. The Notice Inviting Bids, all types of corrigendum /addendums /terms and condition of tender etc. shall form the part of contract document.



Director

For and on behalf of the President of India